



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 364 राँची, गुरुवार,

22 जुलाई, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2021

संख्या-09/आरोप-गिरिडीह-89/2020-1779-(09)/रा.,--विभागीय अधिसूचना संख्या-**2615**, दिनांक-**25.09.2020** द्वारा श्री रामजी प्रसाद गुप्ता तत्कालीन अंचल निरीक्षक, धनवार, गिरिडीह (नवप्रोन्नत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं समकक्ष) को परिवादिनी रेखा देवी, पति-सतीश कुमार, ग्राम-जरमुने, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह से रूपये **5000/-**(पाँच हजार) रिश्वत लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक-**07.07.2020** से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है ।

2. श्री रामजी प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, धनवार, गिरिडीह (नवप्रोन्नत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं समकक्ष) द्वारा दिनांक-**23.11.2020** को समर्पित अभ्यावेदन के अनुसार दि०-**09.11.2020** को न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात श्री गुप्ता द्वारा दिनांक-**12.11.2020** को प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में योगदान समर्पित किया गया ।

3. अतः समीक्षोपरान्त न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के उपरान्त श्री रामजी प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, धनवार, गिरिडीह (नवप्रोन्नत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं समकक्ष) को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, **2016** के नियम **9 (3) (i)** के

तहत मानित निलंबनावधि समाप्त समझते हुए उनके योगदान की तिथि दिनांक-12.11.2020 से योगदान स्वीकृत किया जाता है ।

4. श्री गुप्ता के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय इनके विरुद्ध आपराधिक/अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल के आलोक में लिया जाएगा ।

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
